भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 601
(06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

601. श्री पी. आर. नटराजनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना कुछ ग्राम पंचायतों में शुरू होने के आठ साल बाद भी सफल साबित नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि अपर्याप्त धनराशि जारी करना इस योजना के सफल न होने का मुख्य कारण था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एसएजीवाई को पर्याप्त धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र बनाया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक माननीय संसद सदस्यों (एमपी) द्वारा चिन्हित 3,407 ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख): माननीय सांसदों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास में एसएजीवाई बहुत प्रभावी रही है। चिन्हित ग्राम पंचायतें, ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं और इन योजनाओं में प्रस्तावित कार्यविधियों को भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एसएजीवाई का लक्ष्य ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू करना है, जिससे गोद ली गई ग्राम पंचायतों का समग्र विकास हो सके। दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार, एसएजीवाई के तहत गोद ली गई 3,407 ग्राम पंचायतों में से कुल 2,984 ग्राम पंचायतों ने 2,57,486 परियोजनाओं वाली अपनी वीडीपी अपलोड कर दी है। इनमें से 2,11,568 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और एसएजीवाई के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों का निरंतर विकास हो रहा है।

(ग) और (घ): सांसद आदर्श ग्राम योजना संरचना के तहत, अतिरिक्त निधियाँ आवंटित किए बिना, संबंधित मंत्रालयों/राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण और कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए की गई विभिन्न पहल अनुबंध-।। में दी गई हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-I

एसएजीवाई के प्रारंभ से इसके तहत चिन्हित गांवों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना की शुरुआत (11 अक्टूबर, 2014) से चिन्हित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8
2	आंध्र प्रदेश	207
3	अरुणाचल प्रदेश	13
4	असम	51
5	बिहार	198
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	116
8	दिल्ली	13
9	गोवा	15
10	गुजरात	238
11	हरियाणा	91
12	हिमाचल प्रदेश	45
13	जम्मू और कश्मीर	43
14	झारखंड	117
15	कर्नाटक	133
16	केरल	167
17	लद्दाख	4
18	लक्षद्वीप	2
19	मध्य प्रदेश	140

20	महाराष्ट्र	260
21	मणिपुर	30
22	मेघालय	24
23	मिजोरम	14
24	नागालैंड	8
25	ओडिशा	104
26	पुदुचेरी	10
27	पंजाब	72
28	राजस्थान	190
29	सिक्किम	15
30	तमिलनाडु	370
31	तेलंगाना	86
32	त्रिपुरा	14
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8
34	उत्तर प्रदेश	552
35	उत्तराखंड	37
36	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	**3407**

****

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।।

योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की गई हैं

i. संबंधित योजनाओं में एसएजीवाई को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 26 योजनाओं में संशोधन किये गए हैं और उपयुक्त परामर्श जारी किए गए हैं।

ii. मंत्रालय ने एसएजीवाई के तहत अभिसरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित 127 और 1806 राज्य योजनाओं का संकलन तैयार किया है। यह दस्तावेज़ ग्राम पंचायत स्तर पर संभावित अभिसरण के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में विशेष रूप से संसद सदस्यों, जिला और ग्राम स्तर के अधिकारियों के लिए एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करता है।

iii. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एसएजीवाई की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, निष्पादन समीक्षा समिति, सामान्य समीक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता, समवर्ती निगरानी और प्रभाव आकलन अध्ययन द्वारा समीक्षा शामिल हैं।

iv. मंत्रालय ने एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में सामाजिक/वित्तीय सुरक्षा योजनाओं में 100% नामांकन प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए संबंधित मंत्रालयों से एकत्र की गई मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आवश्यक जानकारी के साथ एक सांकेतिक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में 'सहयोग' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है।

v. राज्यों से कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा करने और विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के बीच योजनाओं के निर्बाध अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) की बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

vi. मंत्रालय वीडीपी को तैयार करने और योजनाओं के अभिसरण के दृष्टिकोण पर राज्य के प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय कर रहे हैं और वीडीपी के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह हैं।

vii. ग्राम पंचायतों की गतिशील रैंकिंग के लिए हाल ही में मानदंड विकसित किए गए हैं और पोर्टल पर डाले गए हैं ताकि चयनित एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन हो सके।

viii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को वीडीपी कार्यान्वयन को गति देने के लिए नियमित रूप से जिला स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दें और माननीय संसद सदस्यों को भी जानकारी दें।

ix. मंत्रालय समय-समय पर माननीय संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों/निजी सचिवों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें जिला प्रशासन और माननीय संसद सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और एसएजीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

x. 20 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ , सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति की बैठकें , निगरानी, समीक्षा, क्रॉस-लर्निंग की सुविधा और निर्बाध अभिसरण प्रक्रिया के लिए , जहां आवश्यक हो , उनकी संबंधित योजनाओं / कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए होती हैं।

xi. ग्राम पंचायतों की पहचान करने और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन पूरा करने के लिए अभिसरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने हेतु माननीय सांसदों को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से पत्र भेजे जा रहे हैं।

xii. मंत्रालय ने एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लिए कॉर्पोरेट्स सोशल रेस्पांसिविलिटी (सीएसआर) निधियों का लाभ लेने हेतु ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ) के सहयोग से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सीएसआर कॉन्क्लेव आयोजित किया।

xiii. एसएजीवाई वेबसाइट (https://saanjhi.gov.in/Index.aspx) को जनता के व्यापक अवलोकन के लिए योजना से संबंधित अधिक प्रासंगिक जानकारी के साथ नया रूप दिया गया है।

वेबसाइट में योजना की प्रगति पर विस्तृत जानकारी , व्यापक रिपोर्ट, ग्राफ़ और मानचित्र शामिल हैं।

xi v. ग्राम पंचायतों की पहचान करने , वीडीपी तैयार करने, वीडीपी के तहत परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने हेतु माननीय सांसदों , प्रभारी अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य नोडल अधिकारियों सहित सभी हितधारकों को सूचित करने के लिए थोक एसएमएस (लघु संदेश/संदेश सेवा) सेवा शुरू की गई है।

****